वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और आप

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग या "वीसी" की सुनवाई क्या है?

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वह तकनीक है जो आपको जेल परिसर से न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई में भाग लेने की अनुमति देती है।

वीसी की सुनवाई कहाँ आयोजित की जाती है?

वीसी की सुनवाई जेल में स्थापित वीसी कक्ष में होती है। वीसी कक्ष में आमतौर पर कम्प्यूटर या टीवी जैसी स्क्रीन, कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर होते हैं। एक समान वीसी सिस्टम कोर्टकक्ष में स्थापित किया गया है।

आप न्यायालय के सामने कैसे पेश होंगे?

जेल में वीसी कक्ष सेटअप में कंप्यूटर या टीवी जैसी स्क्रीन से जुड़े कैमरे और माइक्रोफोन के माध्यम से साझा की गई छवियों और ऑडियो के माध्यम से।

क्या आपके वकील भी वीसी की सुनवाई में शामिल होंगे?

हां, यह अनिवार्य है कि आपके वकील आपकी वीसी की सुनवाई के दौरान न्यायालय में मौजूद हों।

वीसी की सुनवाई से पहले आम तौर पर क्या होता है?

- जेल अधिकारियों द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आपको संबंधित न्यायाधीश द्वारा तय किए गए दिन और समय वीसी के माध्यम से पेश किया जाएगा।
- वीसी की सुनवाई से पहले, आपको कम्प्यूटर या टीवी से जुड़ी स्क्रीन के समक्ष बैठने या खड़े होने के लिए कहा जाएगा।
- यदि आपको स्क्रीन पर न्यायालय को देखने या सुनने में परेशानी हो रही है, तो जेल में वीसी कक्ष के प्रभारी व्यक्ति से आपकी मदद करने के लिए कहें।
- यदि आप सुनवाई के दौरान किसी बात को समझने में असमर्थ है या फिर आप अपने वकील से कुछ और बातचीत करना चाहते है, तो आपको अपने वकील से या तो टेलीफोन के द्वारा या फिर परिवार के द्वारा या किसी अन्य जायज माध्यम से बात करनी चाहिए।

क्या आप न्यायालय में भौतिक सुनवाई के लिये अनुरोध कर सकते है?

हां, इस हेतु आप अपने वकील के माध्यम से या जेल विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से भौतिक सुनवाई का कारण दर्शित कर आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय में भौतिक सुनवाई के लिये अनुरोध कर सकते है। आपकी वीसी सुनवाई के परिणामस्वरूप आपके प्रकरण में यदि कोई प्रतिकूल आदेश था तो यह न्यायालय में भौतिक सुनवाई के लिये एक आधार हो सकता है। न्यायाधीश आपके आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।

यदि आपके पास वीसी की सुनवाई के संबंध में कोई शिकायत या प्रतिक्रिया है, तो आप किससे संपर्क कर सकते हैं?

आपको वीसी की सुनवाई के संबंध में अपनी शिकायतें या प्रतिक्रिया साझा करने का अधिकार है। आप अपनी शिकायत /प्रतिक्रिया न्यायालय में निम्न माध्यम से कर सकते है :–

- आपका वकील या
- जेल विधिक सहायता क्लीनिक या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, या
- जेल अधिकारियों, या
- आपका परिवार/मित्र, या
- सुनवाई के दौरान न्यायालय में सीधे अपनी शिकायत/प्रतिक्रिया साझा करने की अनुमति का अनुरोध।

क्या वीसी की सुनवाई के दौरान आपको न्यायाधीश से बात करने की अनुमति होगी?

हां, आपको वीसी की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश की अनुमति से बात करने का अधिकार है, आप न्यायाधीश को निम्न बिंदुओं पर सूचित कर सकते है :–

- यदि आपके पास वकील नहीं है और एक विधिक सहायता वकील की आवश्यकता है।
- यदि आप अपने वकील को स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं और ऑन–स्क्रीन उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं।
- अगर सुनवाई के दौरान आपका वकील आपको गलत तरीके से पेश करता है।
- यदि आप अपने वकील के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं हैं और सुनवाई से पहले या सुनवाई के दौरान किसी गोपनीय बात पर चर्चा करना चाहते हैं।
- यदि आप अदालत की कार्यवाही को समझने में सक्षम नहीं हैं, तो आप प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण अथवा प्रतियां मांग सकते हैं।
- यदि आपको जेल में कोई समस्या है या जेल में किसी भी प्रकार की धमकी या जबरदस्ती की जा रही है तो आपको न्यायाधीश से गोपनीय रूप से कुछ चर्चा करने का अनुरोध करना चाहिए।
- कोई अन्य मुद्दा जो आप न्यायाधीश को सूचित करना चाहते हैं।

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
५७४, साउथ सिविल लाईंस
जबलपुर, म.प्र.
फोन नं. ०७६१-२६७८३५२
२६२४१३१
ईमेल: mplsajab@nic.in

वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई के संबंध में किसी शंका, संदेह अथवा प्रश्न के लिये अपने अधिवक्ता, जेल विधिक सहायता क्लीनिक के पैनल अधिवक्ता/पैरालीगल वालेंटियर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि से संपर्क करें।

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
५५ ए, तृतीय तल?
सिद्धार्थ चेंबर्स, कालू सराई
न्यू दिल्ली ११० ०१६, भारतए
फोन-.९१.११.४३१८.०२००
फैक्सए .९१.११.४३१८.०२१७
info@humanrightsinitiative.org